

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादीया	ब	प्रतिवादीगण
सुनिता पत्नी रामेश्वरलाल रेगर डबरिया कॉलोनी कुचामनसिटी	ना म	नन्दलाल पुत्र श्री जयदेव दमाभी निवासी रूपपुरा वगैरह
राजस्व वाद = बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबात अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955		
वाद-पत्र नम्बर	157/2022	GCMS No.2022/ 316
तारीख हुक्म	157/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14.09.2022	वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबात अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 17.10.2022 को पेश हो।	
17/10/2022	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक...26/12/2022 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)
26/12/2022	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक...17/3/2023 को पेश हो।	
17/3/2023	पत्रावली पेश हुयी। बार मध द्वारा आज कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 16/5/2023 को पेश हो।	
12/04/2023	वकील वादी के आप धारित पत्र उद्युत मदके पद फर्मावली आज नम्बर 75 की गरी बाबात के मध्य राजीनामा हो चुका है। वाद आगे गयी पत्रावली पेशते है। अतः वाद धारित विडोल खासियत किया जाता है पत्रावली के तम अन्त देखे गम्बर से वाद धारित करीबन पेश हो।	
		सुनिता रेगर

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
सातुका विधिक सेवा समिति
कुचामन सिटी

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बाबुका विधिक सेवा समिति
कुचामन सिटी